स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जांचने ग्वालियर में पांच विशेष टीमें गठित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 20 जुलाई। जिले के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस. सागर ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अधिकारियों के 5 विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।

यह टीमें सुबह जल्दी क्षेत्रों में पहुंचकर अस्पतालों के खुलने का समय, डॉक्टरों व स्टाफ की उपस्थिति और इलाज की व्यवस्थाओं का औचक जायजा

लेंगी। संसाधनों की बचत के लिए दल पूल बनाकर वाहनों का उपयोग करेंगे और निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंपेंगे।

गठित निरीक्षण दल एवं सदस्य : दल 1: डॉ. पवन जैन (जिला स्वास्थ्य अधिकारी), डॉ. विनोद डोंगरिया (जिला मलेरिया अधिकारी) एवं राजेश वर्मा (जिला कंसल्टेंट मलेरिया)। **दल 2:** डॉ. जी.एस. राजपूत (जिला स्वास्थ्य अधिकारी), धर्मेन्द्र राणा एवं धर्मवीर शुक्ला। **दल 3:** डॉ. दीपाली माथुर (जिला स्वास्थ्य अधिकारी), विजय भार्गव एवं डॉ. शिवानी अग्ररिया (सलाहकार)। **दल 4:** डॉ. आर.के. गुप्ता (जिला टीकाकरण अधिकारी), डॉ. महेन्द्र पिपरोलिया (जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट) एवं एम.एस. खान। **दल 5:** डॉ. विजय पाठक (जिला दन्त अधिकारी), आई.पी. निवारिया (जिला मीडिया अधिकारी) एवं श्री दत्तात्रेय कर्दे।

कटोराताल पर अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई

ग्वालियर, 20 जुलाई। कटोराताल रोड पर लगातार बन रही जाम की स्थिति और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यातायात पुलिस एवं नगर निगम मदाखलत टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) अजीत सिंह चौहान के निर्देशन एवं नेतृत्व में अंजाम दी गई। पूर्व में चेतावनी और अनाउंसमेंट के बावजूद सड़क से दुकान, गुमटी व हाथ ठेले न हटाने पर पुलिस और नगर निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए सामान जब्त किया। जब्त सामान नगर निगम की 3 गाड़ियों में भरकर कार्यालय जमा कराया गया। खतरनाक तरीके से बिना लाइसेंस बुलेट चलाने पर 2,000 का चालान काटा गया। इसके अलावा, दस्तावेज न होने पर 1 अन्य बुलेट और 1 चार-पहिया वाहन का प्रकरण बनाकर कोर्ट भेजा गया। कुल 4 वाहनों पर कार्रवाई कर 3,500 का समन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान थाना यातायात कंपू प्रभारी रक्षित निरीक्षक डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, थाना यातायात झांसी रोड प्रभारी रक्षित निरीक्षक धनंजय शर्मा एवं दोनों थानों का पुलिस बल मुस्तैद रहा।

नाले की सफाई को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

ग्वालियर, 20 जुलाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम डबरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शहर की प्रमुख जनसमस्याओं और डबरा गांव के मुख्य नाले (नारिया) की दुर्दशा की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया।वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रदेश महामंत्री महाराज सिंह राजौरिया ने जलभराव और गंदगी पर चिंता जताते हुए 'नारिया' नाले की सफाई व जीर्णोद्धार मांग की, ताकि पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। कांग्रेस नेता दीपक खरे ने ग्राम बीजकपुर के आदिवासियों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तुरंत हटाने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस दौरान वरिष्ठ नेता महाराज सिंह राजौरिया, पार्षद श्रीमती सुनीता महाराज सिंह राजौरिया, दीपक खरे सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

इंद्रा नगर में गंदगी का अम्बार

ग्वालियर, 20 जुलाई। ठाटीपुर स्थित इंद्रा नगर में कन्या विद्यालय के पास गंदगी का अम्बार लगा हुआ है जिससे आने-जाने वाले राहगीरों एवं स्कूल जाने वाली छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से उक्त क्षेत्र में सफाई का अनुरोध किया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, **संगीता** पत्नी **ध्रुव कुमार** (आर्मी सर्विस नं. JC291284K, रैंक- सूबेदार), वर्तमान निवासी - मकान नं. 5351, बैंक कॉलोनी, आर्मी स्कूल के पास, बड़ागांव चौराहा, मुरार, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) पिन कोड - 474006, यह सूचित करती हूँ कि मेरे पति के आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम त्रुटिवश **संगीता** है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम **संगीता दुबे** है जो कि सत्य व सही है। यही सही नाम (**संगीता दुबे**) मुझे अपने पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज कराना है। इस हेतु शपथ पत्र (Affidavit) संख्या- CC 057640 दिनांक 20-07-2026, ग्वालियर प्रस्तुत है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **प्रमोद सिंह** (PRAMOD SINGH) पुत्र **श्री रामबरन सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **जयपाल** (JAYPAL) था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **प्रमोद सिंह** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं एवं जाउंगा। जो मेरे पैन कार्ड एवं अन्यं प्रपत्रों में लिखा गया है **जयपाल** एवं **प्रमोद सिंह** दोनों मेरे ही नाम हैं अत: मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **जयपाल** के स्थान पर **प्रमोद सिंह** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम- जयपाल
वर्तमान नाम प्रमोद सिंह पुत्र श्री रामबरन सिंह
पता- ग्राम खिली, सुकांड भिण्ड म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **विनोद अहिरवार** (VINOD AHIRWAR) पुत्र **श्री तुलसीराम** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम **नक्श अहिरवार** (NAKSH AHIRWAR) है मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से **नक्श्रा** (NAKSHRA) लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र का नाम **नक्श अहिरवा**र (NAKSH AHIRWAR) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. **नक्श्र** एवं **नक्श अहिरवार** दोनों मेरे ही पुत्र के नाम हैं अत: मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम **नक्श्र** के स्थान पर **नक्श अहिरवार** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम-नक्श्र
वर्तमान नाम-नक्श अहिरवार
सूचनाकर्ता
विनोद अहिरवार
पता - वार्ड नं. 5 अकबरपुर, भाण्डेर, दतिया म.प्र.

CHANGE OF NAME & DOB

I, **SAKET KUMAR** S/o **ASHOK KUMAR** residing at B-03 SKY CITY, BHIND ROAD, MAHARAJPURA, GWALIOR M.P. have changed my Father's Name from **ASHOK KUMAR** to **ASHOK KUMAR SHARMA** and date of birth from **1964 to 03/02/1962** due to Mismatching of Name & DOB in SERVICE DOCUMENTS. Vide Affidavit No CC 096381 Dated 20/07/2026 before High Court Gwalior M.P.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **राजवीर सिंह** (RAJVEER SINGH) पुत्र **श्री बकील सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम **नक्क्ष गुर्जर** (NAKSH GURJAR) है मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम गलती से **यशपाल सिंह** (YASHPAL SINGH) लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र का नाम **नक्क्ष गुर्जर** (NAKSH GURJAR) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो उसके शासकीय अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. **यशपाल सिंह** एवं **नक्क्ष गुर्जर** दोनों मेरे ही पुत्र के नाम हैं अत: मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम **यशपाल सिंह** के स्थान पर **नक्क्ष गुर्जर** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पूर्व नाम-यशपाल सिंह
वर्तमान नाम-नक्क्ष गुर्जर
सूचनाकर्ता
राजवीर सिंह
पता-सैनिक कॉलोनी, पिन्टू पार्क, गोले का मंदिर ग्वालियर म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **जसोधा देवी** (JASODHA DEVI) पत्नि नारायणदास चाचोलया सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **जसोधा देवी चाचौलिया** (JASODHA DEVI CHACHOLIYA) था जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरा नाम **जसोधा देवी** (JASODHA DEVI) पत्नि **नारायणदास चाचोलया** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे ई.सी.एच.एस. कार्य एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। **जसोधा देवी चाचौलिया** (JASODHA DEVI CHACHOLIYA) एवं **जसोदा देवी** ये दोनो ही नाम मेरे ही है। अत: मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम **जसोधा देवी चाचौलिया** के स्थान पर **जसोधा देवी** लिखा एवं पड़ा जावे आमजन एवं सर्वजन सूचित है।

पूर्व का नाम-जसोधा देवी चाचौलिया
नया नाम-जसोधा देवी
सूचनाकर्ता
जसोधा देवी चाचौलिया
पता- हाउस नं, सी/ नया साकेत नगर तानसेन मार्ग गिर्द ग्वालियर आर.एस. ग्वालियर म0प्र0 474002

श्रद्धालुओं को मिलेगी नि:शुल्क पार्किंग, सफाई के लिए खरीदा जाएगा कचरा वाहन

शीतला माता मंदिर में साप्ताहिक जनसुनवाई

ग्वालियर, 20 जुलाई। सिद्ध पीठ श्री शीतला माता मंदिर समिति/ट्रस्ट द्वारा सोमवार को मंदिर कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह गुर्जर ने की। इस दौरान दर्शन हेतु आए श्रद्धालुओं और मंदिर कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं एवं सुझावों को समिति के समक्ष रखा।

जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा : जनसुनवाई में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के पास व्यवस्थित पार्किंग न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। श्रद्धालुओं का कहना था कि लोग अव्यवस्थित तरीके से कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। यदि परिसर में सुचारु पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ-साथ यातायात भी सुगम रहेगा।

स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर : वहीं मंदिर के सफाई कर्मचारियों ने परिसर की विस्तृत जगह का हवाला देते हुए कचरा उठाने वाली गाड़ी की मांग रखी। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान संसाधनों से पूरे परिसर की सफाई में कठिनाई आती है, जबकि कचरा वाहन मिलने से स्वच्छता व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो जाएगी।

समिति ने लिए दो बड़े निर्णय : उपस्थित सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से मंदिर समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए नि:शुल्क पार्किंग: दर्शनार्थियों की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में जल्द ही नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। **कचरा वाहन की खरीद:** परिसर को स्वच्छ रखने के लिए शीघ्र ही एक कचरा संग्रहण वाहन क्रय किया जाएगा। जनसुनवाई में महंत मजबूत भगत, गजराज भगत, वीरेन्द्र भगत, रमेश भगत, दीपक भगत, जितेन्द्र भगत, हिमांशु भगत, अभिषेक भगत तथा कृष्णकांत भगत मुख्य रूप से उपस्थित थे।

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं खुसबू तोमर निवासी- 259, कांच मील बड़ा गेट, बिरलानगर ग्वालियर (म.प्र) ने वर्ष 2011 में पासपोर्ट क्रमांक J9931859 पास्पोर्ट कार्यालय भोपाल से बनबाया था उक्त समय में मैं अपना नाम KHUSHBO TOMAR लेख करती थी जिसको वर्तमान में बदलकर KHUSHBU TOMAR लिखना आरंभ कर दिया है। जो मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है। अत: भविष्य में मुझे KHUSHBO TOMAR के स्थान पर KHUSHBU TOMAR के नाम से जाना व पहचाना जावे।

कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधवराव काउण्टर मैग्नेट)

शीतला सहाय प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्राम सौजना, तिघरा, ग्वालियर (म.प्र.)
क्रमांक/विक्षेविप्रा/सम्पदा/2026/524
ग्वालियर दिनांक 20.7.2026

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नीलम धायगोड़े पत्नि स्व श्री अशोक राव धायगोडे निवास 51 न्यू नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.को साडा की आवासीय योजना में भूखण्ड सेक्टर-सी ब्लॉक-07 भूखण्ड क. 64 एम.आई.जी. 200 वर्गमीटर आकार आवंटित हुआ था। जिसकी लीज डीड 11/04/2011 को संपादित कराई गई। श्रीमती नीलम धायगोड़े का देहांत 18/04/2022 को होने के उपरांत पुत्र श्री सपन राव धायगोड़े पुत्र स्व श्री अशोक राव धायगोड का नामांतरण हुआ है। श्री सपन राव धायगोडे द्वारा उक्त भूखण्ड के पट्टे का हस्तांतरण द्वारा श्रीमती मानसी मांडरे पत्नि श्री नितिन मांडरे निवासी न्यू सब्जी मंडी, लक्ष्मीगंज, ए.बी. रोड़, लश्कर, ग्वालियर को किया जाने की अनुमति हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी संस्था/व्यक्ति एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति होतो वह अपनी आपत्ति 15 दिवस तक कार्यालय में प्रस्तुत करें नियत तिथि के पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं नियमानुसार प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर हस्तांरण की कार्यवाही की जावेगी।

संपदा अधिकारी
साडा (काउण्टर मैग्नेट)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भूखण्ड कमांक 06 जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट हैं जो सर्वे क्रमांक 1463/1 राजस्व ग्राम रायरू का भाग होकर श्री श्याम कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 63, ग्राम रायरू, तहसील ग्वालियर ग्रामीण, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है : पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में - प्लॉट न. 21, उत्तर में प्लॉट न. 07, दक्षिण में प्लॉट न. 05 स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री पृथ्वीराज यादव पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम बिलपुरा, कुलैथ रोड़, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी /अनुबंधकर्ता श्री शिवराम सिंह राजपूत पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी ग्राम मिलावली, रायरू फार्म, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि उक्त सर्वे संख्याक कि भूमि को अनुबंधकर्ता अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 20/07/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल न.-9826833031

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भूखण्ड क्रमांक 07 जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट हैं जो सर्वे क्रमांक 1463/1 राजस्व ग्राम रायरू का भाग होकर श्री श्याम कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 63, ग्राम रायरू, तहसील ग्वालियर ग्रामीण, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में - प्लॉट न. 20. उत्तर में प्लॉट न. 08, दक्षिण में प्लॉट न. 06 स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री जितेंद्र यादव पुत्र श्री उम्मेद सिंह निवासी ग्राम बिलपुरा, कुलैथ रोड़, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी/अनुबंधकर्ता श्री शिवराम सिंह राजपूत पुत्र श्री उत्तम सिंह निवासी ग्राम मिलावली, रायरू फार्म, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि उक्त सर्वे संख्याक कि भूमि को अनुबंधकर्ता अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य धारी के रूप में धारण करता है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 20/07/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल न.-9826833031

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भूखण्ड कमांक 08 एवं 09 का भाग ब्लॉक-एल जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट है जो सर्वे क्रमांक 244/1/1, 244/1/2, 244/2, 252/1/1/1, 252/1/2, 252/1/1/2 राजस्व ग्राम मऊ पटवारी हल्का कमांक 54 का भाग होकर वार्ड क्रमांक 63, महादेव एन्क्लेव एक्सटेन्सन, ग्वालियर, तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 07 एवं 10 का भाग, उत्तर में - प्लॉट क्रमांक 08 का शेष भाग, दक्षिण में प्लॉट क्रमांक 09 का शेष भाग स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती सुषमा देवी पत्नि श्री सुनील निवासी ग्राम रिठौना, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी / अनुबंधकर्ता श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नि श्री सालिकराम निवासी ग्राम गुढावली, पोस्ट गुन्तूर, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, म.प्र. द्वारा मुख्यतयारआम श्री सचिन तोमर पुत्र श्री सुजान सिंह तोमर निवासी पाताली हनुमान, तानसेन रोड़, गिर्द ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सर्वे संख्याक कि भूमि अनुबंधकर्ता की पैतृक सम्पत्ति का भाग होकर अनुबंधकर्ता द्वारा अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में धारित भूमि का भाग है तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से विक्रय अनुबंध-पत्र का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो। **दिनांक : 20/07/2026.**

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय प्रात: 11.00 से सांय 05.00 तक
मोबाइल न.-9826833031

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती राधा पत्नी श्री मुकेश ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट स्थित नगर पालिका निगम वार्ड क्र. 02 महाकाल वार्ड, ग्राम बडोखर जिला मुरैना में है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 02 जो कि सर्वे क्र. 348 का भाग कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गफुट है, जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पति है। मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सुनील शर्मा पुत्र श्री हरीदास शर्मा की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज ई रजिस्ट्रेशन क्र. एम. पी. 25792019ए1686726 तारीखी 05.10.2019 मे रामस्नेही दण्डोतिया पुत्र श्री रामचरन दण्डोतिया के द्वारा सम्पादित किया। मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में-भवन छोटेलाल शर्मा, पश्चिम में-भूमि रमेश दण्डोतिया उत्तर में-भूमि रामस्नेही एंव रामगोविन्द दक्षिण में -रोड जिसका कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सुनील शर्मा पुत्र श्री हरीदास शर्मा की क्रयशुदा सम्पति असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरी पक्षकारा से कही गुम हो गया जो कि काफी तलाशने पर भी नही मिला। अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को मेरी पक्षकारा के पूर्व विक्रेता सुनील शर्मा पुत्र श्री हरीदास शर्मा की क्रयशुदा सम्पति असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिल जाता है। तो नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर सूचित करें और मेरी पक्षकारा अचल संपत्ति प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गफुट पर हाउसिंग लोन की सुविधा पीरामल फायनेंस लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सुचित हो।

दिनांक-20.07.2026
स्थान-ग्वालियर
भवदीय,
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रामवती पत्नी श्री अजीत सिंह, निवासी- ग्राम जतुपुरा पुरा, पोस्ट भगवासा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक प्लॉट क्रमांक 85, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफिट होकर जो सर्वे क्रमांक 448/3, 451/2/1, 452/1, 453/1, 454, 455/1, 455/2, 456, 457/2, 458, 459/1, 459/3 एवं 460 ग्राम सेंथरी, न. नि. वार्ड क्रमांक 62, जागेश्वरी धाम फेज-3, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म. प्र.) में स्थित होकर जिसके पूर्व में 20 फीट रोड, पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 85, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 86 व दक्षिण में प्लॉट क्रमांक 84 है। आवेदिका ने उक्त संपत्ति पूर्व स्वामी संजय शिवहरे पुत्र श्री भगवानदास शिवहरे से जर्ये रजि. बिक्रयपत्र पंजीयन दस्तावेज क्रमांक एमपी142592023ए11981593 एवं पंजीयन दिनांक- 13.06.2023 के माध्यम से प्राप्त की है। पूर्व स्वामी श्री संजय शिवहरे ने एक विशाल भू-भाग अनिल शर्मा पुत्र श्री ब्रम्हदेव शर्मा से जर्ये पंजीकृत बिक्रयपत्र पंजीयन दिनांक- 01.09.2021 के माध्यम से क्रय किया था। पूर्व स्वामी श्री अनिल शर्मा के अतिरिक्त उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि के अन्य सहस्वामी है किन्तु आवेदिकानुसार श्री अनिल शर्मा ने अपने ही हिस्से की संपत्ति बिक्रय की थी जिसमें सहस्वामियों को कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि उक्त संपत्ति पर आवेदिका ने मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था आधार हाउसिंग फायनेंस लिमि. के यहां ऋण हेतु आवेदन किया है जिस पर ऋण देना प्रस्तावित है इसलिये यदि सहस्वामी को अन्यथा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, किसी निकाय आदि को उपरोक्त वर्णित संपत्ति को बंधक किये जाने में कोई या कैसी भी आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् कोई भी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। इति

दिनांक- 20.07.2026
प्रेषक- गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)
कार्या./नि- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

**एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं.16 वार्ड क्रं. 41, भवन क्रं. ..., स्थान: गणेश गली लश्कर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती पार्वती अग्रवाल पत्नी श्री हेमन्त अग्रवाल, सुनीता तिवारी पत्नी जयदेव तिवारी, राजीव शुक्ला पुत्र श्री भरोसीलाल शुक्ला, रिचा अग्रवाल पत्नी अमित अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000288189 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 96 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1/889 दिनांक 21.06.2009 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 20.07.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 81/2010/39368/61550/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अ